रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2003/भाद्र 4, 1925
No. 405] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2003/BHADRA 4, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 685(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के परामर्श के बिना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, को सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकेगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (.........संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में, अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के परिशिष्ट "ख" में,—

(1) उक्त नियमों के नियम 22 की सारणी में,

(क) कार्बोनेटीकृत जल से संबंधित क्र॰ सं॰ 14 के सामने, स्तंभ 2 में "600 मि॰ली॰" प्रविष्टि के स्थान पर, "1000 मि॰ली॰" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) फलों का रस/फल पेय/फल स्क्वेश से संबंधित क्र॰ सं॰ 27 के सामने, स्तंभ 2 में, "400 मि॰ली॰" प्रविष्टि के स्थान पर "1000 मि॰ली॰" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(II) उक्त नियमों के नियम 57 के उपनियम 2 की सारणी में,—

(क) सीसा से संबंधित क्र०सं० 1 के सामने, स्तंभ 2 और 3 में, मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(i) पेय	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए किसी प्रकार का पेय	0.01

(ख) तांबा से संबंधित क्र०सं० 2 के सामने,—

(i) स्तंभ 2 और 3 में, मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(i) पेय	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए किसी प्रकार का पेय	0.05
	किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद	5.0
	ताड़ी	5.0

(i) स्तंभ 2 और 3 में, मद (ii-ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ग) आर्सेनिक से संबंधित क्र०सं० 3 के सामने,—

(i) स्तंभ 2 और 3 में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(ii) पेय	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए किसी प्रकार का पेय	0.06
	किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद	0.2

(2) स्तंभ 2 और 3 में, मद (ii-ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(घ) टिन से संबंधित क्र०सं० 4 के सामने, स्तंभ 2 और 3 में, मद (i-कक) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(i-कक) पेय	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए किसी प्रकार का पेय	250
	जैम, जैली और मुरब्बा, किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद	250

(ङ) जस्ता से संबंधित क्र०सं० 5 के सामने, स्तंभ 2 और 3 में,

(क) मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(i) **पेय**	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए किसी प्रकार का पेय	5.0
	किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद	5.0
	अन्य फल और वनस्पति	50.0

(ख) मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(च) केडमियम से संबंधित क्र०सं० 6 के सामने, स्तंभ 2 और 3 में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(ii) **पेय**	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए किसी प्रकार का पेय	0.01

(छ) पारद से संबंधित क्र०सं० 7 के सामने, स्तंभ 2 और 3 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(i) **मछली**	0.5
	(ii) **पेय**	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए किसी प्रकार का पेय	0.001
	(iii) अन्य खाद्य	1.0

(ज) क्रोमियम से संबंधित क्र०सं० 9 के सामने, स्तंभ 2 और 3 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	(i) **परिष्कृत चीनी**	0.02
	(ii) **पेय**	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए उपलब्ध किसी प्रकार का पेय	0.05

(झ) निकिल से संबंधित क्र०सं० 10 के सामने, स्तंभ 2 और 3 के अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	पेय	
	कोर्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), परोसे जाने के लिए उपलब्ध किसी प्रकार का पेय	0.02

(III) उक्त नियमों के नियम 65 के नियम (2) के नीचे सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(3) कार्बोनेटीकृत जल, फल और वनस्पति रस, फल सिरप, फल स्क्वैश, फल पेय या फल सुपेय, मृदु पेय सांद्र (घोषणा के अनुसार तनुकरण के पश्चात्), किसी प्रकार के परोसे जाने के लिए उपलब्ध पेयों में कीटनाशी अवशिष्ट का परिणाम निम्नानुसार होगा,—

(i)	नाशक जीवमार अविशिष्ट जिन पर पृथक रूप से विचार किया जाना—	0.0001 मि.ग्रा./ली. से अनधिक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके (इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा)।
(ii)	कुल नाशक जीवमार अविशिष्ट—	0.0005 मि.ग्रा./ली. से अनधिक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके (इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा)";

[सं. पी. 15025/80/2003-पीएच(खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955 का०नि०आ० 2106 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा०का०नि० 554(अ) दिनांक 18-7-03 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2003

G.S.R 685(E).— The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, without consultation of the Central Committee for Food Standards, proposed to make, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, (37 of 1954), is hereby published as required by said Sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

(1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (....................... Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the day of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix 'B', (hereinafter referred to as the said Rules),

(I) In rule 22, of the said rules, in the Table,

(a) against serial number 14 relating to carbonated water, in column 2 for the entries "600 ml", the entries "1000ml" shall be substituted.

(b) against serial number 27, relating to fruit juice / fruit drink / fruit squash, in column 2, for the entries "400 ml", the entries "1000ml" shall be substituted.

(II) In rule 57, of the said rules, in sub rule 2, in the table,—

(a) against serial number 1 relating to lead, in columns 2 and 3, for item(i) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely,—

(1)	(2)	(3)
	(i) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind	0.01

(b) against serial number 2 relating to copper, -

(i) in columns 2 and 3, for item(i) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely,—

(1)	(2)	(3)
	(i) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	0.05
	Pulp and Pulp products of any fruit	5.0
	Toddy	5.0

(ii) in columns 2 and 3 item (ii-b) and entries relating thereto shall be omitted.

(c) against serial number 3 relating to arsenic, -

(i) in columns 2 and 3 for item (ii) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely,-

(1)	(2)	(3)
	(ii) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	0.05
	Pulp and Pulp products of any fruit.	0.2

(ii) in columns 2 and 3, the item (ii-c) and entries relating thereto, shall be omitted.

(d) against serial number 4 relating to tin in columns 2 and 3, for item (i-aa) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely, -

(1)	(2)	(3)
	(i-aa) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	250
	Jam, Jellies and Marmalades, Pulp and Pulp products of any fruit.	250

(e) against serial number 5 relating to zinc, in columns 2 and 3,-

(a) for item (i) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely,-

(1)	(2)	(3)
	(i) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	5.0
	Pulp and Pulp products of any fruit	5.0
	Other fruits and vegetable products	50.0

(b) item (iii) and entries relating thereto shall be omitted.

(f) against serial number 6 relating to cadmium, in columns 2 and 3 after item (ii) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, -

(1)	(2)	(3)
	(ii-a) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	0.01

(g) against serial number 7 relating to mercury in columns 2 and 3 for the existing entries, the following shall be substituted, namely, -

(1)	(2)	(3)
	(i) Fish	0.5
	(ii) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	0.001
	(iii) Other foods	1.0

(h) against serial number 9 relating to Chromium in columns 2 and 3, for the existing entries, the following shall be substituted, namely, -

(1)	(2)	(3)
	(i) Refined Sugar	0.02
	(ii) Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	0.05

(i) against serial number 10 relating to Nickel in columns 2 and 3, the following shall be added in the end, namely, —

(1)	(2)	(3)
	Beverages	
	Carbonated water, Fruits and Vegetable juices. Fruit Syrup, Fruit Squash, Fruit beverages or fruit drink, Soft drinks concentrate (after dilution as per declaration), Ready to serve beverages of any kind,	0.02

(III) in rule, 65 of the said rules after the table under rule (2), the following shall be inserted, namely, —

"(3) the amount of insecticide residues in carbonated water, fruits and vegetable juices, fruit syrup, fruits quash, fruit beverage or fruit drink, soft drink concentrates (after dilution as per direction), and ready to serve beverages of any kind shall be as follows, —

(i)	Pesticide residues considered individually-	Not more than 0.0001 mg/litre (The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods meeting the residue limits specified herein above).
(ii)	Total pesticide residues -	Not more than 0.0005 mg/litre (The analysis shall be conducted by using Internationally established Test methods meeting the residue limits specified herein above)";

[No. P. 15025/80/2003-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note.— The Prevention of Food Adulteration Rules 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2106 dated the 12th September, 1955 and were last amended vide G.S.R. No. 554(E) dated 18-7-2003.